

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-963/2009/कोटा

मै. जे.के. सिन्थेटिक्स लि. कोटा,
जिला कोटा।

....अपीलार्थी

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी,
विशेष-वृत्त, कोटा।
2. उपायुक्त (अपील्स),
वाणिज्यिक कर विभाग, कोटा।

.....प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ

श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.एल.पाटौदी
अभिभाषक

....अपीलार्थी की ओर से

श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक : 18.09.2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, कोटा (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 24/सीएसटी/2004-05 में पारित किये गये आदेश दिनांक 28.04.2009 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम 2003" कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त, कोटा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा पारित किये निर्णय को यथावत रखते हुये आरोपित ब्याज राशि रु 14,02,477/- को यथावत रखा है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त कोटा ने अपीलार्थी का दिनांक 01.04.2001 से 31.03.2002 वर्ष 2001-02 की अवधि का केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 (जिसे आगे "केन्द्रीय अधिनियम 1956" कहा जायेगा) की धारा 9 के तहत अपीलार्थी का कर निर्धारण किये जाने पर रु 1,04,13,313/- की राशि कम जमा करने के कारण इसमें से रु 25,61,797/- की राशि कम जमा होने पर इस पर ब्याज रु 14,02,477/- आरोपित किया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 06.05.1986 की विज्ञप्ति के अनुसार धारा 8(5) के तहत पार्शल एकजम्पान की राशि रु 78,51,716/- क्लेम की गई है जिस पर ब्याज रु 42,98,413/- आरोपित किया गया है। कुल मांग रु 1,61,14,603/- की कायम की गई है जिसमे से रु 1,21,50,529/- को माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के

2/17



लगातार.....2

फलस्वरूप रेमीशन राशि वसूल योग्य नहीं मानते हुये माननीय उच्च न्यायालय की रिट पिटीशन 6804 / 2003 के आदेशानुसार संशोधन होने योग्य बताया। अपीलीय अधिकारी के समक्ष व्यवहारी ने ब्याज राशि 57,01,290 / - रु को विवादित किया तथा अधिसूचना दिनांक 06.05.86 के आधार पर राशि रु. 78,51,716 / - पर Partial Exemption (Rebate) चाहा। अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को यथावत रखते हुये अपील अस्वीकार की है जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने ये अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना तथा अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत जवाब पर विचार किये बिना कर एवं ब्याज आरोपित किया है जो अविधिक होने से अपास्त किया जावे। अपीलार्थी द्वारा ब्रांच ट्रांसफर को कम करते हुए अन्तरराज्यीय बिक्री पर अधिसूचना दिनांक 06.05.1986 के तहत समस्त स्टेटमेन्ट प्रस्तुत कर दिये जाने के बावजूद बिना किसी आधार के Partial Exemption अस्वीकार किया जाकर कर निर्धारण आदेश पारित किया है जिसे स्वीकार किया जावे। कर निर्धारण अधिकारी ने विज्ञप्ति दिनांक 06.05.1986 का लाभ इसलिए अस्वीकार किया है कि औद्योगिक प्रोत्साहन योजना, 1998 एवं राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 21.01.2000 के अनुसार ईकाई दोहरा लाभ नहीं ले सकती। यह सही तथ्य नहीं है। प्रोत्साहन योजना 1998 में ऐसी कोई शर्त नहीं है तथा ईकाई दिनांक 21.01.2000 की विज्ञप्ति पर लिये गये लाभ के अतिरिक्त की बिक्री पर दिनांक 06.05.1986 का लाभ चाहती है। इसके अलावा कर निर्धारण अधिकारी ने विज्ञप्ति दिनांक 06.05.1986 का लाभ इसलिए भी स्वीकृत नहीं किया है कि ईकाई ने दो प्रकार से लाभ क्लेम किया है। इस सम्बन्ध में विज्ञप्ति स्वयं स्पष्ट है। अतः विज्ञप्ति दिनांक 06.05.1986 का लाभ स्वीकार करने पर जोर दिया। इन्होंने आगे कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 58 रा.बि.क.अ. सपठित धारा 9(2) के.बि.क.अ. के तहत रु 57,01,290 / - का ब्याज आरोपित किया है जो अविधिक होने से अपास्त किया जावे। अतः आरोपित ब्याज अविधिक होने से अपास्त कर अपील स्वीकार की जावे।

4. अपीलार्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है। इन्होंने अपने समर्थन में टीयूडी वोल्यूम 24 पार्ट प्रथम पेज 20 लक्ष्मी सीमेन्ट बनाम सीटीओ पाली निर्णय दिनांक 17.04.2009 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया। इन्होंने व्यवहारी की अपील खारिज करने हेतु निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-

6. विचाराधीन प्रकरण में अधिसूचना दिनांक 06.05.86 के अनुसार व्यवहारी ने शाखा स्थानान्तरण में कमी करने और अन्तरराज्यीय विक्रय में वृद्धि के फलस्वरूप विज्ञप्ति दिनांक 06.05.86 के अनुसार Partial Exemption तथा सी फार्म से बिक्री करने के साथ-साथ विज्ञप्ति दिनांक 21.01.2001 के अन्तर्गत रियायती दर 6 प्रतिशत से बिक्री करते हुये दोनों अधिसूचनाओं का लाभ चाहा है। इस प्रकार मुख्य विवाद का बिन्दु यह है कि दोनों अधिसूचनाओं का लाभ एक साथ दिया जा सकता है या नहीं। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के निर्णय एस.बी. सिविल टैक्स रिवीजन पिटीशन संख्या 613 / 2005 लक्ष्मी सीमेन्ट (A Division of J.K. Corp. Ltd. Now renamed as J.K. Lakshmi Cement Ltd.) Jaykaypuram, Distt. Sirohi) Vs. Commercial Taxes Officer निर्णय दि. 17.4.2009 का सुसंगत तथ्य निम्नानुसार है:-


"26. One cannot lose sight of the fact that both the Notifications dated 6/5/1986 and 21/1/2000 provide for exemption or concession to the assessee, a manufacture of cement. While the Notification dated 6/5/86 does not specify any dealer or type of manufacturer, the later Notification dated 21/1/2000 applies to manufacturers of cement. As noted above, for other commodities manufacturers, other similar notifications were also issued by the State Government. Therefore, the State Government cautiously wanted not to apply or allow the benefit of Notification dated 6/5/1986 to those manufacturers or specified dealers for which subsequent notifications like the one in hand dated 22.1.2000 was issued, if they make sales and avail benefit of concessional rate of tax under these notifications issued under Section 8(5) of the CST ACT. Therefore, dissecting this condition and still allowing the benefit of partial exemption under the Notification dated 6/5/86 would be doing violence to the condition no.3 which was never intended by the State Government. It is for the assessee to opt either for availing benefit of concessional rate of tax under the Notification dated 21/1/2000 or not to do so altogether. Once, he does so and opts for the same, the applicability of the notification dated 6/5/1986 is excluded altogether and not in piece meal. Therefore, it cannot be contended by the assessee that in respect of other inter-State sales, still partial exemption may be allowed in terms of Notification dated 6/5/1986, applicability of which stands excluded. Doctrine of exclusion and eclipse would apply in such cases rather than doctrine of liberal construction. "

उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत से यह स्पष्ट है कि दोनों अधिसूचनाओं का लाभ एक साथ नहीं लिया जा सकता। कर बोर्ड की समन्वय पीठ द्वारा अपील सं. 733 / 2010 / चित्तौडगढ़ मैसर्स आदित्य सीमेन्ट चित्तौडगढ़ बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त भीलवाडा निर्णय दिनांक 05.06.2017 में भी इसी अवधारणा की पुष्टि होती है कि दोनों अधिसूचनाओं का लाभ एक साथ नहीं लिया जा सकता। ये न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण में पूर्णतया लागू होता है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर व्यवहारी की अपील अस्वीकार योग्य होने के कारण अस्वीकार की जाती हैं।

8. निर्णय सुनाया गया।


(नित्यूराम)
सदस्य


(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष